FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् ......आबादी [illegible]......

किस्म मुकदमा:– विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर:– 60/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अह[illegible] जो इस हुक्म की ता[illegible] में जारी हुये
22/9/22	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक ..22.... दिनांक ..15/6/22...के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम ....झाडली............के कृषि भूमि खसरा नम्बर ...... 3961, 3962, 3963, 3964 .... में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र,ग्राम पंचायत ...झाडली....का रास्ते हेतु प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ....झाडली..........परिशिष्ठ 'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुयी। विविध प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र [illegible] ...2021 [illegible] ....झाडली... [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो, जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:32 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन [illegible] अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कैम्प:– [illegible]